न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
07/2018	2018/00104	16.10.2018	24.02.2021

श्री नानुराम पिता वेस्ता मीणा निवासी पाडाखोरा तहसील प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—: प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री जगदेव सिंह पिता हरनाथ सिंह राजपुत निवासी मेरियाखेडी तहसील प्रतापगढ़

—: विपक्षी

अपील अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू—राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत

उपस्थिति :—

1. श्री अशोक दख — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री — अधिवक्ता अप्रार्थी

—: आदेश :—

दिनांक 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रावला फला में स्थित आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि जिसके पैमाईस पूर्व साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहे हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पिता श्री वेस्ता पुत्र नाथू मीणा के सगेभाई श्री वाला पुत्र नाथू मीणा का कब्जा रहा है किन्तु वर्ष 1964 के दौरान तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा जरिये मिशल संख्या 3960/1964 के द्वारा उक्त साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी (श्री जगदेव सिंह पुत्र हरनाथ सिंह राजपुत निवासी मेरियाखेड़ी) के प्रभावशील व्यक्ति होने के आधार पर प्रार्थी के पूर्वजों के कब्जे काश्त की राजकीय बिलानाम भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 14/12/1967 से अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि का वर्ष 1964 से लगायत आदिनांक तक प्रार्थी के पूर्वजों एवं प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

साथ ही निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की वर्तमान आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि के साबिक आराजी संख्या 448 रकबा 10 बीघा दर्ज रहते हुए प्रार्थी के बड़े पिता जी श्री वाला पुत्र नाथु मीणा लाऔलाद फौत द्वारा वर्ष 1971 के दौरान उक्त भूमि पर सिंचाई प्रयोजनार्थ खोदे गए कुँए तथा कृषि कार्य करने के चलते आवंटन हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में तत्कालीन पटवार हल्का मेरियाखेड़ी द्वारा श्री वाला पुत्र नाथु मीणा के भूमिहीन सद्भाविक कब्जा काश्त संबंधी रिपोर्ट भी अंकित की गई थी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में विवादित नामान्तरकरण संख्या 33 से दर्ज साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा नवीन आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि का आवंटन एवं नामान्तरकरण खारीज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी (श्री जगदेव सिंह पुत्र हरनाथ सिंह निवासी मेरियायखेड़ी) को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र जारी किये गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट पंजीकृत डाक रसीद कमांक RR 241820460 IN दिनांक 18.09.2019 से 30 दिवस उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस प्रार्थी एकतरफा अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी श्री अशोक कुमार दक द्वारा प्रार्थना पत्र मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किए गए कि राजस्व ग्राम रावलाफला मेरियाखेड़ी की आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर भूमि के पैमाईस पूर्व साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा भूमि दर्ज रहते हुए भी प्रार्थी के बड़े पिता श्री वाला पुत्र नाथु मीणा लाऔलाद फौत के कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा उक्त भूमि पर वाला पिता नाथु मीणा के पूर्ववत् कब्जा काश्त स्वरूप वर्ष 1971 के दौरान प्रार्थी के दिगर पूर्वज द्वारा विधिवत् आवंटन हेतु आवेदन श्री प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण में प्रार्थी के निवेदन पर तलब मौका रिपोर्ट तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक 05.03.2019 के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट पटवार हल्का मेरियाखेड़ी दिनांक 25.02.2019 के अनुसार भी आदिनांक तक विवादित आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा निरन्तर 50 वर्षों से बरकरार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रार्थना पत्र मेमो दिनांक 04.09.2018 तथा संलग्न जमाबन्दी संवत 2071–2074 खाता संख्या 22 आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर, नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 14.12.1967, खसरा मिलान क्षैत्रफल शीट भू–प्रबंध, आवंटन प्रपत्र वर्ष 1971 दिनांक 07.02.1971 रिपोर्ट पटवार हल्का दिनांक 15.12.1971, जमाबंदी संवंत 2027–30, रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 05.03.2019 एवं पटवार हल्का दिनांक 25.02.2019, नकल आवेदन प्रार्थी दिनांक 21.08.2018 एवं रिपोर्ट जिला अभिलेखागार दिनांक 21.08.2018 के साथ–साथ प्रकरण में लागु प्रचलित विधियों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम रावलाफला मेरियाखेड़ी की साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा भूमि जिसके वर्तमान आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 हैक्टर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि के वक्त आवंटन वर्ष 1964 के दौरान से वर्तमान तक अप्रार्थी/आवंटी (श्री जगदेव सिंह पुत्र हरनाथ सिंह) के बजाय प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वज लाऔलाद फौत बड़े पिताजी श्री वाला पुत्र नाथु मीणा को कब्जा काश्त रही है इस कब्जा काश्त की अवधारणा रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत आवंटन प्रपत्र दिनांक 07.02.1971 के कम में तत्कालीन पटवार हल्का मेरियाखेडी द्वारा अंकित रिपोर्ट दिनांक 15.02.1971 तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट पटवार हल्का मेरियाखेडी दिनांक 25.02.2019 से होती है।

प्रकरण में विवादित आवंटित भूमि का आवंटन अप्रार्थी/आवंटी के पक्ष में जरिये मिसल संख्या 3960/1964 द्वारा किया जाकर उक्त आवंटन आदेश की पालना में निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 33 स्वीकृत दिनांक 14.12.1967 के अनुसार उक्त भूमि आवंटी/अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

उपरान्त वर्ष 1971 के दौरान प्रार्थी के पूर्वज श्री वाला पुत्र नाथु मीणा द्वारा दिनांक 07.02.1971 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत आवेदन एवं उक्त आवेदन की जांच रिपोर्ट के क्रम में पटवार हल्का मेरियाखेडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 15.02.1971 के अनुसार विवादित/आवंटित भूमि पर प्रार्थी के पुर्वजों का कब्जा रहा है ऐसी स्थिति में कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रचलित विधि एवं नियमों अनुसार आवंटन हेतु प्रयुक्त भूमि का अनाधिकृत कब्जा काश्त की राजकीय बिलानाम होना अनिवार्य होता है अर्थात् किसी कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन बिना युक्ति–युक्त आधारों एवं अवैधानिक कब्जेधारी की विधिवत् बेदखली से पूर्व आवंटन नहीं किया जा सकता था या है किन्तु प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज अनुसार अप्रार्थी/आवंटी के पक्ष में दर्ज भूमि आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 है. वक्त आवंटन से ही विवादित भूमि रही है तथा आवंटी के स्वर्ण जाति संवर्ग का सदस्य होने तथा कब्जेधारी का भूमिहीन आदिम जनजाति संवर्ग का सदस्य होने से ऐसा आवंटन स्वतः निरस्त योग्य प्रतीत होता है।

साथ ही पूर्व से वर्तमान तक प्रचलित विधियों अनुसार किसी भी राजकीय भूमि आवंटन से आवंटित भूमि को आवंटी द्वारा नियत समयावधि में गैर काबिल काश्त से काबिल काश्त बनाए जाने उपरान्त अर्थात् नियमित कब्जा–काश्त की स्थिति में ही गैर–खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है किन्तु प्रकरण में आवंटी को आवंटित भूमि साबिक आराजी संख्या 448/2 रकबा 7 बीघा के नवीन आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 है. बनने तक विगत 50 वर्षों से कब्जे काश्त के अभाव में उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं दिगर पैतृक सदस्यों का कब्जा काश्त प्रमाणित होते हुए भी खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाना भी संशयप्रद है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर प्ररकण में विवादित आवंटन मिसल संख्या 3960/1964 एवं नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 14.12.1967 अपास्त/खारीज किये जाते है और तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम रावलाफला मेरियाखेडी की नवीन खाता संख्या 22 में दर्ज भूमि आराजी संख्या 1036 रकबा 1.13 है. भूमि को विधिवत राजसात किया जाकर पूर्ववत् राजस्व रिकार्ड अनुसार रिकार्ड में दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सरे–इजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner